रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/95 REGD. NO. D.L.-33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 1996/माघ 11, 1917
No. 52] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 1996/MAGHA 11, 1917

खाद्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1996

सा० का० नि० 71(अ).—चीनी नियंत्रण संवर्द्धन अधिनियम, 1958 (1958 का 30) खंड-4 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा चीनी मौसम 1995-96 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान हुए उत्पादन में से 10,477 टन कच्ची चीनी (रॉ केन शुगर) तरजीह कोटा के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात हेतु नियत करती है ।

चीनी की यह मात्रा भारतीय चीनी तथा सामान्य उद्योग निर्यात-आयात निगम लि० (आई०एस०जी०आई०ई०आई०सी०) द्वारा निर्यात की जाएगी जिसे दिनांक 7-12-1990 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 935(ई) के तहत निर्यात एजेंसी अधिसूचित किया जाता है ।

निर्यात एजेंसी सरकार को चीनी की खरीद तथा बिक्री का विवरण उसी दिन देगी जिस दिन बिक्री अथवा खरीद का सौदा अन्तिम रूप से हो जाएगा ।

निर्यात एजेंसी, चीनी निर्यात संवर्द्धन अधिनियम, 1958 तथा चीनी निर्यात संवर्द्धन विनियम 1973 के प्रावधानों तथा इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करेगी ।

[फाईल सं० 4-3/95-नि०अनु०]

नवीन कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 1996

G.S.R. 71(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Sugar Export Promotion Act, 1958 (30 of 1958) the Central Government hereby fixes 10,477 tonnes of Raw Cane Sugar for export to United States of America as preferential quota, out of 1995-96 season's production (October—September).

This quantity of sugar will be exported by Indian Sugar & General Industry Export Import Corporation Ltd., (ISGIEIC) which has been notified as an export agency vide Notification No. G.S.R. 935(E) dated 07-12-1990.

The Export Agency shall submit to the Government the details of purchase as well as sale of sugar on the same day, the sale of purchase transaction is finalised.

The Export Agency would abide by the provisions of Sugar Export Promotion Act, 1958 and Sugar Export Promotion Rules, 1973 and the directions issued by Government in this regard from time to time.

[F. No. 4-3/95-ES]

NAVIN KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 1996